प्रथम अध्याय

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

प्रस्तावना

राधाकृष्णन (1996) के अनुसार – "समाज में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परम्परायें और तकनीकी कौशल पहुँचाने का केन्द्र है और सभ्यता के विकास (प्रकाश) को प्रज्जवलित रखने में सहायता देता है।"

इसलिए किसी भी राष्ट्र का हित उस राष्ट्र के अध्यापक के हित पर निर्भर है । एक अध्यापक अपने जीवन काल में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित करता है अतः अध्यापक ही हमारे भविष्य का संरक्षक है और इसलिए अध्यापक की ओर कोई भी ध्यान देना अपने भविष्य, की ओर ध्यान देना है । यह निर्विवाद है कि शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं, उनमें शिक्षकों के गुण, उनकी क्षमता और उनका चरित्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है अतः आवश्यक है कि योग्य अध्यापक हों, उन्हें सर्वोत्तम व्यावसायिक साधन उपलब्ध कराये जायें और ऐसी संतोषप्रद स्थितियाँ बनायीं जायें जिनमें वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें ।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1966–67) ने कहा है–शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यह अनिवार्य है कि अध्यापकों में विषयी गुणवत्ता शिक्षण का एक समुचित शिक्षण कार्यक्रम हो । अध्यापकों के प्रशिक्षण पर किये गये व्यय का प्रतिफल सचमुच काफी मूल्यवान होगा क्योंकि उससे लाखों छात्रों की शिक्षा में जितना सुधार होगा, उसकी तुलना में आर्थिक व्यय की मात्रा बहुत कम होगी ।

"अन्ततः विश्लेषण में, शिक्षा पद्धति की क्षमता अध्यापकों के गुण पर निर्भर करती है, अच्छी शिक्षा पद्धति के होते हुए भी, अच्छे अध्यापकों के अभाव में शिक्षा पद्धति का असफल होना अवश्यंभावी है । अच्छे अध्यापक के रहते दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति भी अत्यधिक सफल हो सकती है । इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापन व्यवसाय में सही प्रकार के स्त्री अथवा पुरुषों को आकर्षित करने तथा बनाये रखने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये और ऐसी स्थितियाँ पैदा की जायें जिससे उनमें कार्य के प्रति अपने व्यावयायिक जीवन भर उत्साह बना रहे।"

अध्यापकों के संबंध में अन्तराष्ट्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में जो टिप्पणियाँ दी हैं वे भी इसी महत्त्व की है :– "हमारा विश्वास है कि जब तक अध्यापन कार्य अपना दर्जा नहीं बना लेता, जो कि व्यक्ति और कार्य के प्रकार दोनों में प्रतिबिम्बित हो तब तक यह अपनी आर्थिक, सामाजिक स्थिति सुदृढ़ नहीं बना सकता और न ही जिस समर्थन की इसे आवश्यकता है उसे प्राप्त कर सकता है । हमें इस तथ्य का सामना करना होगा कि अध्यापक और शिक्षाविद् ही मुख्यतः अध्यापन के व्यावसायिक स्तर के लिए जिम्मेदार है ।"

मैकनायर समिति (1994) में रिपोर्ट पेश की, कि "अध्यापन की पूरी योग्यता के दो भाग हैं, उसी शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रमुखता उसके व्यावसायिक कर्त्तव्यों में प्रविष्ट होने की है तथा आगे का प्रशिक्षण कार्य कर रहे एक अध्यापक के तौर पर, बिताये कुछ समय के बाद होता है ।"

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

1.2 अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता

प्रत्येक अध्यापक के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है । प्रशिक्षित अध्यापक, अप्रशिक्षित अध्यापक की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है । व्यवसाय की मांग, उद्देश्य तथा अध्यापक से अपेक्षाएँ अध्यापक प्रशिक्षण के अस्तित्व को प्रमाणित करती है । सूचनाओं का प्रभावी ढंग से छात्रों तक प्रेक्षण कई कौशलों पर निर्भर करता है जैसे–प्रश्न पूछने का कौशल, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन तथा व्याख्या । दूसरे कौशल जिनकी आवश्यकता संचार में होती है, विषय वस्तु का व्यवस्थापन एवं उनके तर्कपूर्ण श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुतिकरण । ये कौशल अथवा अभिवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जबकि उन्हें क्रमबद्ध प्रशिक्षण दिया जाये । इस प्रकार इन कौशलों एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति के लिए प्रणालीबद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये । अध्यापक प्रशिक्षण के कुछ सैद्धांतिक आधार है प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापकों में तकनीकी ज्ञान तथा कौशलों का विकास किया जा सकता है । जिसके द्वारा वह अपने छात्रों तथा अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है । इसलिए प्रत्येक प्रकार के शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।

1.3 अध्यापक शिक्षा का महत्त्व

1. अध्यापक शिक्षा द्वारा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है । बालक के व्यक्तित्व के विकास में अनुवंश और पर्यावरण का क्या स्थान है, इन पर कितना नियंत्रण संभव है, कैसे संभव है, बालक कैसे सीखता है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, मूल्यांकन क्या है ? क्यों करना चाहिये ? कैसे करना चाहिये ? आदि तमाम बातों का ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार अध्यापक के रूप में एक सामान्य व्यक्ति की योग्यता बढ़ जाती है ।

2. बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाने से बच्चों के प्रति अच्छी अभिवृत्ति बनने के लिए अनुकूल भूमि बनती है । बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिये, इसकी जानकारी होती है ।

3. अनुशासन क्या है, कक्षा में अनुशासन कैसे स्थापित किया जाये, अनुशासनहीनता किन कारणों से होती है आदि का ज्ञान हो जाने से अनुशासन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने में सहायता मिलती है ।

4. दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोविज्ञान आधारों से पुष्ट शिक्षण विधियों का ज्ञान हो जाने से किसी विषय के शिक्षण को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है

5. अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों को निष्क्रिय स्त्रोता बनाने के बजाय सक्रिय सहभागी बनना चाहिये–इसका ज्ञान और इसकी विधि का ज्ञान होता है ।

6. सामान्य रूप से प्रत्येक स्तर पर, तथा विशेष रूप से प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा की अधिक आवश्यकता होती है । छोटे बच्चों को पढ़ाना कठिन होता है उन्हें पढ़ाने के लिए समय और शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है । शिक्षाविदों ने अनुशासन द्वारा ऐसी विधियाँ खोज

Regional Institute of Edu

निकाली हैं जिनका प्रयोग करने से कम समय में और कम शक्ति से मात्रा एवं प्रभाव दोनों दृष्टियों से अधिक संभव है । अतः अध्यापकों की शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण होती है ।

1.4 अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (1982) ने अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं:–

1. अध्यापक शिक्षा, अध्यापक में शिक्षा के गांधीवादी मूल्यों का विकास करें जैसे–अहिंसा, सत्य, आत्मानुशासन, आत्मनिर्भरता, काम के प्रति गरिमा का भाव आदि ।
2. अध्यापक में यह गुण विकसित करें कि वह समाज में परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभा सकें।
3. अध्यापक न केवल बच्चों का नेता बने बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी बन सके ।
4. अध्यापक समाज और विद्यालय की कड़ी भी बन सके ।
5. अध्यापक को इस योग्य बनाये कि वह पर्यावरण के स्त्रोतों ऐतिहासिक महत्त्व की चीजों और सांस्कृतिक सम्पदा का न केवल शिक्षा के लिए उपयोग करें बल्कि इनका संरक्षण भी करे ।
6. वह बच्चों को प्यार करें । उनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक तथा निजी समस्याओं के प्रति उनकी दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण रहे ।
7. अध्यापक भारतीय संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य समझ सकें । वह जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की भूमिका के प्रति सजग हो ।
8. अध्यापक में ऐसा अवबोध, ऐसी रुचियाँ, ऐसी अभिवृत्तियाँ और ऐसे कौशल विकसित करें ताकि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी उपयुक्त भूमिका निभा सकें ।
9. अधिगम और शिक्षण के सामान्य (सर्वमान्य) सिद्धान्तों के आधार पर अध्यापक पढ़ा सकें ।
10. कक्षा–कक्ष के अन्दर तथा बाहर अधिगम को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अध्यापक में अपेक्षित योग्यताओं का विकास करें ।
11. अध्यापक को अपने विषय तथा उसकी शिक्षण विधियों का सम्यक ज्ञान हो ।
12. अध्यापक क्रिया अनुसन्धान कर सकें तथा शोध प्रयोजनाओं में भाग ले सकें ।

1.5 अध्यापक प्रशिक्षण क्या, क्यों और कैसे ?

प्रशिक्षण शब्द अंग्रेजी के Training शब्द के समानार्थी के रूप में काम में लिया जाता है । (Train) शब्द लैटिन मूल के Trachere से आया है जिसका अर्थ है To draw (खीचना/निकालना/विकसित करना) ।

Training शब्द का आजकल इस अर्थ में बहुत उपयोग किया जाता है–लगातार अभ्यास से किसी प्रकार

Regional Institute of Education (LIBRARY)

की कुशलता/दक्षता अर्जित करना । जैसे हाथी को लकड़ी ढ़ोना सिखाना, कुत्ते को आज्ञा पालन सिखाना, शेर को सर्कस में प्रदर्शन के लिए करतब करना सिखाना । Training इस अर्थ में किसी कार्य को सीखने के लिए उसे बार–बार दोहराने पर अधिक जोर है । हिन्दी के शब्दकोश में प्रशिक्षण का निम्नलिखित अर्थ है – "किसी व्यवसाय, कला, शिल्पादि की या कुश्ती, दौड़ आदि की व्यावहारिक रूप में लगातार कुछ समय तक दी जाने वाली शिक्षा ।" यह अर्थ Training के बहु प्रचलित अर्थ से मिलता जुलता प्रतीत होता है । लेकिन इस अर्थ की एक सीमा/बड़ी कमी,है । इसमें किसी भी चीज के बारे में व्यावहारिक रूप में मात्र करके देखने पर बहुत ज्यादा जोर है । वह चीज इसी तरह क्यों की जा रही है ? उसे किसी और तरह से किया जाये तो क्या होगा ? आदि प्रश्नों पर समालोचनात्मक चिन्तन को विकसित करने की गुंजाइश इसमें बहुत सीमित नजर आती है ।

मानव जीवन के कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण का सही अर्थ काम में लिया जाता है । सामान्यतया प्रशिक्षण जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उसके पीछे कुछ इस प्रकार की मान्यताएँ रहती हैं :–

1. प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति जिस चीज के बारे में प्रशिक्षण दे रहा है उसके बारे में पूरी तरह से जानता है और प्रशिक्षु कुछ नहीं या बहत ही कम जानते हैं ।

2. प्रशिक्षण में प्रशिक्षु द्वारा किसी नयेपन या सृजन की संभावनाएँ खोजने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण में किये जाने वाली चीजों के बारे में प्रशिक्षक पूरी तरह से जानता है और प्रशिक्षु के लिए मात्र ग्रहण कर लेना पर्याप्त है ।

3. प्रशिक्षक पूरी तरह से प्रशिक्षक केन्द्रित होता है । प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के ज्ञान, व्यवहार समझ इत्यादि पर प्रश्न उठाने, उनकी जाँच, विश्लेषण के लिए बहुत सीमित एवं कम अवसर उपलब्ध होते हैं और उनपर भी प्रशिक्षक का नियंत्रण होता है ।

4. प्रशिक्षण का कार्य अपने पास उपलब्ध जानकारी/तकनीक प्रशिक्षुओं को प्रदान करना या उनमें स्थानान्तरित करना है ।

5. प्रशिक्षण में किये जा रहे कार्यों को प्रशिक्षुओं की विद्यमान समझ से जोड़ने की खास जरुरत नहीं होती । प्रशिक्षक द्वारा कराये जा रहे कार्य को प्रशिक्षण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान मिल जाने के कारण जिम्मेदारी पूरी प्रशिक्षु की हो जाती है । वह करवाये जा रहे काम को समझ से खुद ही जोड़ता चले ।

शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो कि जीवन के लगभग हर पहलू को छूने की क्षमता रखता है

अतः शिक्षा के क्षेत्र में उपर्युक्त मान्यताएँ लेकर प्रशिक्षण करने से कुछ इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं :–

1. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के बीच आपस में सीखना-सिखाना,का संचार हातेा है ।

2. समझ व ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया समूह में शुरु हो जाने की संभावनाएँ बढ़ने लगती हैं और प्रशिक्षुओं को समूह में स्वयं, अन्य सहयोगियों व प्रशिक्षुओं के ज्ञान व समझ को जांचने, विश्लेषण करने, उनपर प्रश्न उठाने इत्यादि के लिए अवसर उपलब्ध होने लगते हैं ।

Regional Institute of Education LIBRARY

3. आमतौर पर जब कोई इंसान जब कोई नई चीज सिखता है तो वह पुराने अनुभवों को जोड़कर ही सीखता है । अतः ऐसा प्रशिक्षण जो उसी विद्यमान समझ को ध्यान में रखकर नहीं रखता और जिसमें सिखाई जा रही चीजों को प्रशिक्षु की विद्यमान समझ से जोड़ने की जिम्मेदारी प्रशिक्षक पर बिल्कुल नहीं या बहुत ही कम होती है । उस प्रशिक्षण के ज्यादा उपयोगी एवं सार्थक होने की संभावना रहती है ।

4. प्रशिक्षण में मात्र कुछ चीजों के करने की विधि या तरीका सिखा दिया जाये तो हर नई बात/चीजें/चुनौती, सामने आने पर प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षक का मुँह ताकेगा, क्योंकि उसने तो मात्र किसी काम को किसी खास तरह से करना सीखा है ।

5. अतः प्रशिक्षण का परम्परागत अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक उपयोगी कम ही है । लेकिन हमारे पास कोई नया शब्द भी नहीं है । अतः प्रशिक्षण शब्द को ही पुर्नपरिभाषित करने की जरूरत है ताकि यह स्पष्ट रहे कि इस दस्तावेज में प्रशिक्षण का किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है ।

6. प्रशिक्षण को मूलतः एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिये । जिसमें सृजन, ज्ञान या जानकारी प्राप्त करना, कौशल विकसित करना और सबसे महत्त्वपूर्ण चिंतन प्रक्रिया को सजग करना या तीव्र करना शामिल है । इस धारणा में मुख्य जोर सूचनाएँ देने मात्र पर नहीं अपितु व्यक्ति के स्वचिंतन प्रक्रिया को क्रियाशील और मुखर करना है ।

7. प्रशिक्षण में सीमित/निश्चित समय के भीतर सघनतापूर्वक विभिन्न कार्य करने के दौरान सहभागियों के भीतर छिपी क्षमताएँ/मान्यताएँ/ मूल्य इत्यादि, स्वयं या समूह के सामने उजागर होते हैं । उन्हें समझने एवं उन पर विचार–विमर्श । विश्लेषण तथा उसके विकास के प्रयास सामूहिक रूप से किये जाते हैं । इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सहभागी को चिन्तन–मनन, विश्लेषण, तर्क–वितर्क तथा स्वयं करके देखने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं और प्रत्येक सहभागी अन्य सभी सहभागियों से सीखता हुआ और उन्हें सीखने में मदद करता हुआ एवं समूह के विकास में मददगार होता है । शिक्षा में गुणात्मक सुधार करते रहना एक सतत प्रक्रिया है, शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देना प्रत्येक प्रशिक्षण में शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है । प्राथमिक शालाओं में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शासन द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं । उत्तम और रोचक पठन–पाठन की सामग्री का निर्माण तथा शिक्षा प्रशिक्षण–प्रयासों का केन्द्रबिन्दु है । शिक्षकों की गतिविधियों को दक्षताओं से जोड़ने का कौशल विकसित करना । शिक्षा में गुणवत्ता का सीधा संबंध शिक्षकों के आत्म विश्वास से है ।

1.6 अध्ययन का महत्त्व

अध्ययन विधि व्यक्ति या इकाई के गुण और दोषों की विवेचना, योग्यताओं तथा क्षमताओं की सीमायें, सामन्जस्य का संगोपांग विषयगत विवरणात्मक अध्ययन है यह प्रशिक्षण चयन के दौरान, उनकी योग्यताओं से उपलब्ध तथ्यों का संग्रह है, इन विषयगत चयनित स्त्रोतों के माध्यम से, व्यक्ति अथवा संस्था के बारे में, विभिन्न सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो समस्यापूर्ण व्यवहार का विश्लेषण करती है ।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

इस विधि द्वार व्यक्ति, प्रशिक्षण, ज्ञान, विषय, समाज, विज्ञान, व्यवहार और दैनिक घटनाओं और सामाजिक इकाई की वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, अर्थात् इस विधि का मुख्य उद्देश्य, किसी शिक्षक, व्यक्ति, परिवार समूह, समुदाय, सामाजिक संस्था या शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण के विषयों का गहन अध्ययन करना है :–

अध्ययन संबंधी आँकड़ें आत्म कथन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यावहारिक विषयों का सामान्य ज्ञान आदि द्वारा संग्रह करते हैं ।

1.7 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

हर बसाहट को उसके एक किलोमीटर के भीतर निर्धारित सुविधा युक्त प्राथमिक विद्यालय, वैकल्पिक शाला या औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में से कम से कम एक सुविधा मुहैया कराना तथा 6–11 वर्ष आयु समूह के बच्चों को शत–प्रतिशत प्रवेश उपस्थिति व न्यूनतम अधिगम उपागम (M.L.O.) के साथ प्राथमिक शिक्षा की पूर्णतः जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना है । सुविधा मुहैया कराने में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता का प्रावधान है । शैक्षिक गतिविधियों को गति देने के लिए जिला शिक्षा कार्यक्रम योजना के तत्वाधान में जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में परियोजना संचालक, परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक एवं महिला संगठन की पदस्थापना है । इनके अलावा लेखापाल, लिपिक–4 पद (द्वितीय वर्ग), वाहन चालक – 1 पद, भृत्य – 3 पद, प्रोग्रामर – 1 पद, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर – 2 पद के पदों का भी प्रावधान है ।

यह कार्यक्रम सरकार द्वारा नवम्बर, 1993 में पी.ओ.ए. 1992 के अनुच्छेद 7.4.6 के आधार पर बनाया गया है । इस अनुच्छेद के अनुसार "विशिष्ट क्रियाओं, स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्तरदायित्वों, निश्चित समय योजना और विशिष्ट लक्ष्यों युक्त विशिष्ट जिला कार्यक्रम बनाये जायेंगे । सभी जिला योजनाएँ वृहद रणनीति के तहत तैयार किये जायेंगे तथा उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं व संभावनाओं से सम्बद्ध किया जायेगा । प्रत्येक जिला कार्यक्रम में आरम्भिक शिक्षा के प्रभावी लोकव्यापीकरण के अतिरिक्त शिक्षा की पहुँच में व्याप्त असमानताओं का निराकरण, सुविधा वंचित समूहों के लिए मानक विकल्प की व्यवस्था, शाला सुविधाओं में सुधार, शैक्षिक योजनाओं के विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर क्षमताओं का निर्माण करने व शालाओं के संचालन हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करना भी शामिल किया जायेगा, अर्थात् इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का पुननिर्माण करना होगा ..... ।"

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का महत्त्वपूर्ण उपकरण है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर हर विकासखण्ड में एक विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र बनाया गया है । जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित है । यही कार्य जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में किया जा रहा है ।

1.8 म.प्र. में जिला प्राथमिक कार्यक्रम (D.P.E.P.) का कार्यक्षेत्र

म.प्र. के 24 जिले जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े थे उनको जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया है इन जिलों में स्त्री शिक्षा की दर उन राज्यों की अपेक्षा कम है जिन राज्यों की औसत दर 28.4 प्रतिशत

Regional Institute of Edu... LIBRARY

से अधिक है । इन 24 जिलों में से 7 जिले आदिम जाति बाहुल्य हैं । पहले म.प्र. में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 19 जिलों में चलाया जा रहा था परन्तु राज्य शासन की अनुशंसा पर 5 और जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जायेगा इन पाँच अतिरिक्त जिलों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरु हो गये हैं ।

1.9 म.प्र. में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा

संभाग	जिला	संभाग	जिला
भोपाल	सीहोर, रायसेन,राजगढ, बैतूल	रायपुर	राजनांदगांव
		रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडो
ग्वालियर	गुना	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ, सरगुज
इन्दौर	धार		
उज्जैन	मंदसौर		
सागर	टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर		

इनके अतिरिक्त पाँच जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, सिवनी और मण्डला जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं ।

1.10 जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यकाल

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यकाल निम्न रूप से विभाजित किया गया है :–

1.–अल्पकालीन 2 वर्ष से कम, 2.–मध्यकालीन 3 से 4 वर्ष तक, 3.–दीर्घकालीन 5 से 7 वर्ष तक

1.11 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य

1. 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध कराना ।
2. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सार्वभौमिक नामांकन कराना ।
3. प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जो बालक बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनकी संख्या 10 प्रतिशत से कम करना ।
4. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर धीरे–धीरे लिंगभेद को कम करना ।
5. प्राथमिक शिक्षा का औसत जो कि आधारभूत रूप से 25 प्रतिशत मानी गई है उसकी वृद्धि करना।
6. राज्य और जिले की शिक्षा संस्थाओं की योग्यता को प्राथमिक शिक्षा की उन्नति प्रबन्ध व योजना

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

बनाने में बढ़ावा देना एवं दक्षता आधारित शिक्षण–प्रशिक्षण पर परिवर्तनीय सुधारों को विकसित कर कार्यान्वित करना ।

7. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक स्वयंसेवी संस्था 1.1.1994 को निर्मित की गई है जिसका नाम राजीव गांधी प्रार्थमिक शिक्षा मिशन है, का कार्य राज्य में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है ।

8. राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा और प्रशिक्षण को बल देना है ।

9. डी.पी.ई.पी. जिलों में ग्रामीण शिक्षा समिति का निर्माण, स्त्रियों की सहभागिता के साथ पूर्ण करके कार्यान्वित कराना है ।

10. डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम में बिना दण्ड वाले मूल्यांकन की प्रक्रिया, लागू करना, जिससे बच्चों की उपलब्धि अधिगम का परीक्षण किया जा सके और विकास को बढ़ावा मिल सके ।

11. म.प्र. राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) का संशोधित प्राथमिक पाठ्यक्रम को लागू कर नवाचार को बढ़ावा देना ।

12. राज्य में नई सदी की आवश्यकताओं के लिए साक्षरता दर को बढ़ाना एवं सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को सफल करना ।

1.12 शोध कार्य की आवयश्कता

प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान की कार्यप्रणाली समानान्तर संस्थान से भिन्न होती है । यह भिन्नता उस संस्थान में उपलब्ध मौलिक एवं बौद्धिक संसाधन एवं संस्थान के प्रशासकीय कार्यक्षमता एवं गतिशीलता पर आधारित होती है । आवश्यक नहीं है कि बाह्य रूप में संसाधन के, समान रूप से वितरण के पश्चात् भी समस्त संस्थान वयं को सौंपे गये दायित्व के प्रति एक–सा प्रस्तुतिकरण परिणाम दें । क्योंकि किसी भी प्रशिक्षण की गुणवत्ता, हाँ पर प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य ज्ञान की आवश्यक दक्षता, वहाँ से संबंधित क्षेत्रीयता संस्कृति), भौगोलिकता संसाधन प्रयोग, परिस्थितियाँ आदि भिन्न–भिन्न होतीं हैं अतः इन समस्त कारकों का ाव संस्थान की कार्यप्रणाली पर पड़ता है । इन्हीं परिणाम व बाधाओं और विषयगत दक्षताओं एवं वश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए नौगाँव (छतरपुर) और पन्ना डाइट में आँकडें प्राप्ति हेतु चुना गया । वर्तमान में म.प्र. राज्य में शोधकार्य की इस प्रकार की आवश्यकताऐं अनुभव की जा रही हैं ।

अतः शोधार्थी ने इस अध्ययन की आवश्यकता को अपना शोध विषय चुना है ।

.13 प्रस्तुत समस्या

शिक्षण प्रशिक्षण दक्षताओं एवं ज्ञानात्मक विषयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण एवं पूर्ण दक्षता प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत अध्ययन में डाइट के प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक एवं क्षण आवश्यकताओं के अध्ययन का प्रयत्न किया गया है ।

उपर्युक्त समस्या का हल जानने हेतु शोधकर्त्ता ने निम्न विषय अध्ययन हेतु चुना है ।

Regional Institute of Ed

अवसर मिलता है तो उनके लिए लाभदायक शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं करके, ढूंढकर समस्या समाधान करके सीखते हैं क्रिया आधारित शिक्षण के अंतर्गत आती है ।

1.16 प्रस्तुत शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. प्राथमिक-स्तर-प्रशिक्षणार्थियों की विषयगत अपेक्षित ज्ञान का अध्ययन निम्न बिन्दुओं पर करना

   अ. प्राथमिक स्तर में अपेक्षित सामान्य ज्ञान की दक्षताओं का अध्ययन करना

   ब. प्राथमिक स्तर में अपेक्षित गणित की दक्षताओं का अध्ययन करना

   स. प्राथमिक स्तर में अपेक्षित हिन्दी ज्ञान की दक्षताओं का अध्ययन करना

   द. प्राथमिक स्तर में अपेक्षित सामाजिक विज्ञान की दक्षताओं का अध्ययन करना

   इ. प्राथमिक स्तर में अपेक्षित विज्ञान की दक्षताओं का अध्ययन करना

2. प्रशिक्षणार्थियों की विषयगत प्रशिक्षण उपलब्धि का अध्ययन करना

3. भविष्य में प्रारंभिक अध्यापन प्रशिक्षण के सुधार हेतु सुझाव देना

1.17 शोध प्रश्न

अ. क्या प्राथमिक अध्यापन प्रशिक्षणार्थियों में, प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित ज्ञान है ?

ब. क्या प्राथमिक अध्यापन का विषयगत सामान्य ज्ञान की दक्षतायें आवश्यक स्तर पर उपलब्ध हैं ?

1.18 शोधकार्य की परिसीमायें

प्रस्तुत शोध कार्य में नौगाँव जिला–छतरपुर और पन्ना, (म.प्र.) के दो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के 50 + 50 = 100 पुरुष और महिला प्रशिक्षणार्थियों को, विषयगत–सामान्य ज्ञान (व्यावहारिक), गणित, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान की प्रश्नावलियों पर से आँकड़े एकत्रित करके, "शोध" अध्ययन हेतु चुना गया है ।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal